न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 81/09

1. चन्द्र प्रकाश पुत्र स्व0 मोहन लाल ।
2. इन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री मोहन लाल ।
3. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मोहन लाल ।
4. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मोहन लाल ।
5. राकेश पुत्र स्व0 मोहन लाल ।
6. मनफूल बाई बेवा स्व0 मोहन लाल जाति जैन निवासीगण ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. दाखां बाई बेवा स्व0 मंगला
2. चन्द्रकला पुत्री स्व0 मंगला
3. छीतर लाल पुत्र स्व0 मंगला जाति भील निवासीगण ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 04.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2008 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 294 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के पिता व पति स्व0 श्री मोहन लाल द्वारा दिनांक 12.09.69 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादीगण के पिता व पति मंगला पुत्र मांग्या से क्रय की थी । सेटलमेंट विभाग ने उक्त आराजी के नये नम्बर 450 कायम कर रकबा 0.35 हैक्टर कायम किया है जो गत रकबे 02 बीघा 08 बिस्वा के अनुसार

0.38 हैक्टर बनता है जो मौके पर पूर्ववत विद्यमान है परन्तु सेटलमेंट विभाग 0.38 हैक्टर के स्थान पर मात्र 0.35 हैक्टर रकबा बिना किसी कारण के कम दर्ज कर दिया जो कि वादीगण दुरूस्ती करवा कर पूर्ववत सम्पूर्ण रकबा 0.38 हैक्टर अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि खसरा नम्बर 294 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा जिसके सेटलमेंट बाद नये खसरा नम्बर 450 रकबा 0.35 हैक्टर कायम किये गये है । उसका रकबा पूर्व रकबे के अनुसार 0.38 हैक्टर कायम करते हुए उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 से 3 के खाते से हटाई जाकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथ इसी अनुसार रिकॉर्ड में दुरूस्ती व अमलदरामद किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे वह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे तथा वादीगण को उक्त भूमि से ताकत के बल पर बेदखल नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2008 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2008 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता व पति श्री मोहन लाल ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.05.69 को क्रय की थी तब से ही उक्त आराजी पर बहैसियत केता मालिक पुश्तैनी रूप से अपीलान्ट का ही कब्जा चला आ रहा है । राजस्व रिकॉर्ड में गलती से विकेता के पुत्र मंगला व उसके बाद उसके वारिसान के नाम दर्ज होने से गलत इन्द्राज के आधार पर उक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को आदेश 15 नियम 01 सीपीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2008 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट ने उक्त निर्णय की डिक्री नहीं बनाये जाने पर डिक्री बनाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 12.08.2008 को पेश कर दिया था जिस पर डिक्री बनायी गई, जिसकी जानकारी दिनांक 14.07.2009 को होने पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बाबवजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा का दावा पेश गया था । बिना जवाबदावा प्राप्त किये बिना विधिक प्रकिया अपनाए प्रथम पेशी पर ही

अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तर्गत आदेश 15 नियम 01 सीपीसी के तहत दावा खारिज किया है जबकि आदेश 15 नियम 01 इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है । वादी ने वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वर्ष 1969 में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तब से ही वे उक्त भूमि पर बहैसियत मालिक काबिज काश्त चले आ रहे हैं । राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से विक्रेता के पुत्र एवं उनके वारिसान के नाम दर्ज हो गई है । धारा 175 के तहत कार्यवाही की मियाद 1969 में 03 वर्ष थी और बाद में 12 वर्ष हुई और बाँद में 30 वर्ष हो गई है किन्तु न तो विक्रेता ने और न ही सरकार द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त अवधि में काई कार्यवाही की गई है । कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वादी उक्त आराजी को अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय को जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर निर्णय पारित करना चाहिए था । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2008 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे (ा) 2015 पेज 631, डीएनजे (ा) 2014 (राज0) पेज 291 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के द्वारा हक घोषणा का दावा वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया गया था । दावे में उनके द्वारा यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी उनके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की और कब्जा प्राप्त किया है । अतः वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2008 के द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए विक्रय को धारा 42 बी के उल्लंघन के आधार पर Ab-initio Void मानते हुए और प्रतिकूल कब्जे के आधार को भी अस्वीकार करते हुए आदेश 15 नियम 01 सीपीसी के तहत दावा वादी खारिज किया है ।

11. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट की मुख्य आपत्ति यह है कि दावा गलत रूप से खारिज किया गया है । आदेश 15 नियम 01 सीपीसी इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है । सीपीसी के आदेश 15 नियम 01 के अनुसार जब पक्षकारों के मध्य कोई विवाद नहीं है और वाद की प्रथम सुनवाई पर यह प्रतीत होता है कि विधि के या तथ्य के किसी प्रश्न पर पक्षकारों में विवाद नहीं है वहॉ न्यायालय तुरन्त ही निर्णय सुना सकेगा । वादग्रस्त आराजी वाद में किये गये कथनों अनुसार सन् 1969 में वादीगण ने क्रय करना बताया है । विक्रेतागण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और क्रेता सवर्ण हैं । ऐसी स्थिति में विक्रय धारा 42 बी के उल्लंघन में होने से Void Ab-initio है और इस विक्रय के आधार पर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित नहीं किया जा सकता । जहॉ तक प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न है माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच और माननीय राजस्व उच्च न्यायालय जयपुर के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते ।

12. इन तथ्यों के आधार पर वाद वादी मेन्टेनेबल नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने यद्यपि आदेश 15 नियम 01 सीपीसी के तहत दावा खारिज किया है परन्तु उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी विधिक प्रावधानों के तहत मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2008 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 04.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 81/09

1. चन्द्र प्रकाश पुत्र स्व0 मोहन लाल ।
2. इन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री मोहन लाल ।
3. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मोहन लाल ।
4. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मोहन लाल ।
5. राकेश पुत्र स्व0 मोहन लाल ।
6. मनफूल बाई बेवा स्व0 मोहन लाल जाति जैन निवासीगण ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. दाखां बाई बेवा स्व0 मंगला
2. चन्द्रकला पुत्री स्व0 मंगला
3. छीतर लाल पुत्र स्व0 मंगला जाति भील निवासीगण ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2008 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 191/दावा/2008

1. मनफूल बाई बेवा स्व0 मोहन लाल जाति जैन निवासीगण ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

2. चन्द्र प्रकाश पुत्र स्व0 मोहन लाल ।
3. इन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री मोहन लाल ।
4. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मोहन लाल ।
5. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मोहन लाल ।
6. राकेश पुत्र स्व0 मोहन लाल ।

——वादी

बनाम

1. छीतर लाल पुत्र स्व0 मंगला जाति भील निवासीगण ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. चन्द्रकला पुत्री स्व0 मंगला
3. दाखां बाई बेवा स्व0 मंगला
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2008 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 04.02.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूदयाल विजय एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2008 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 04.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

4/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा